



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आवेदन अंतर्गत धारा 528 बीएनएसएस संख्या - 8015 वर्ष 2026

सुनील यादव

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य

..... विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

:

जय सिंह परिहार

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता

:

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 81

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
 - वर्तमान आवेदन, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के अंतर्गत, आरोप-पत्र दिनांक 05.09.2023 और संज्ञान आदेश दिनांक 21.09.2024 के साथ-साथ मुकदमा अपराध संख्या 118/2023, अन्तर्गत भारतीय दंड संहिता की धारा 447 और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 (जिसे इसके बाद "अधिनियम, 1984" कहा जाएगा) की धारा 3, थाना बरुआसागर, जिला झाँसी से उद्भूत वाद संख्या 12741/2024 (राज्य बनाम सुनील यादव) की संपूर्ण कार्यवाही को रद्द करने के लिए दायर किया गया है, जो अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम, झाँसी के न्यायालय में लंबित है।
 - 01.07.2023 की प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, आवेदक ने सरकारी भूमि पर आठ फीट लंबी दीवार का निर्माण किया है और गाटा संख्या 60 तथा गाटा संख्या 642 पर अतिक्रमण किया है, जो कि एक सार्वजनिक संपत्ति है। आवेदक से अतिक्रमण हटाने का अनुरोध किया गया था, लेकिन आवेदक द्वारा उसे नहीं हटाया गया।
 - आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क यह है कि ग्राम सभा की संपत्ति से अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली के लिए राजस्व संहिता, 2006 के तहत एक विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित
- अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



हैं, इसलिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की जानी चाहिए थी और विवेचना अधिकारी ने कानून पर विचार किए बिना, इस मामले में गलत और अवैध तरीके से आरोप-पत्र दाखिल किया है। विद्वान मजिस्ट्रेट ने भी दिनांक 21.09.2024 के आदेश के माध्यम से अपराध का संज्ञान लिया है, जो कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय द्वारा **आवेदन अंतर्गत धारा 482 संख्या 9964/2020, (मुंशी लाल एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य)** में पारित निर्णय दिनांक 06.08.2020 पर भरोसा करते हुए आगे यह तर्क दिया है कि ग्राम सभा की संपत्ति से अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली के लिए राजस्व संहिता, 2006 के तहत पूर्ण प्रक्रिया प्रदान की गई है, इसलिए ऐसे अनधिकृत कब्जाधारियों के विरुद्ध अधिनियम, 1984 के प्रावधान लागू नहीं किए जा सकते।

6. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई प्रार्थना का विरोध किया और तर्क दिया कि राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली की कार्यवाही संक्षिप्त कार्यवाही है और यदि तथ्यों का समूह अधिनियम, 1984 के तहत अपराध गठित करता है, तो एक अनधिकृत कब्जाधारी के विरुद्ध अधिनियम, 1984 के प्रावधानों को साथ-साथ लागू किया जा सकता है। उसके अंतर्गत, एक व्यक्ति को कारावास की सजा सुनाई जा सकती है, जो राजस्व संहिता, 2006 के प्रावधानों के तहत नहीं किया जा सकता है।

7. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा आगे यह तर्क दिया गया है कि इस न्यायालय की खंडपीठ ने **देवनाथ यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं तीन अन्य, आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 1131/2021** (निर्णय दिनांक 03.03.2021) के मामले में **मुंशी लाल** (उपरोक्त) के निर्णय पर चर्चा की है और उसे विभेदित किया है, तथा खंडपीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि मुंशी लाल (उपरोक्त) के मामले में प्रतिपादित कानून गलत था। अधिनियम, 1984, सार्वजनिक संपत्ति को होने वाली किसी भी क्षति या अतिक्रमण पर व्यापक रूप से लागू होगा।

8. मैंने दोनों पक्षों को सुना है और रिकॉर्ड तथा पक्षों द्वारा उद्धृत निर्णयों का अवलोकन किया है।



9. अधिनियम, 1984 के सावधानीपूर्वक अवलोकन पर, मैं पाता हूँ कि अधिनियम की धारा 2(क) यह प्रावधान करती है कि अधिनियम में आने वाले "रारष्टि" (mischief) शब्द का वही अर्थ होगा जो भारतीय दंड संहिता की धारा 425 में है, जिसे नीचे उद्धृत किया गया है -

"धारा 425 : रारष्टि: जो कोई इस आशय से, या यह जानते हुए कि यह संभाव्य है कि वह जनता को या किसी व्यक्ति को सदोष हानि या क्षति पहुँचाए, किसी संपत्ति का नाश करता है, या किसी संपत्ति में या उसकी स्थिति में ऐसी कोई तब्दीली करता है जिससे उसका मूल्य या उपयोगिता नष्ट या कम हो जाती है, या उस पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, वह 'रारष्टि' करता है।"

10. स्वीकार्य रूप से, विचाराधीन भूमि एक सार्वजनिक संपत्ति है। उस पर किया गया कोई भी अतिक्रमण, अधिनियम, 1984 के तहत एक दंडनीय अपराध है, क्योंकि आवेदक द्वारा चहारदीवारी का निर्माण करके संपत्ति की स्थिति को बदल दिया गया है। ऐसा निर्माण अतिक्रमण की गई भूमि के उपयोग को रोकता है और इसके मूल्य या उपयोगिता को कम कर देता है। अतः, आवेदक का कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 425 के अंतर्गत आता है। इसलिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सार्वजनिक संपत्ति पर आवेदक द्वारा किया गया अतिक्रमण, भारतीय दंड संहिता की धारा 425 के अर्थ के भीतर 'रारष्टि' की श्रेणी में आता है।

11. सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 की धारा 3(1) यह प्रावधान करती है कि जो कोई भी किसी सार्वजनिक संपत्ति के संबंध में 'रारष्टि' करेगा, उसे पांच साल तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

12. इसमें कोई संदेह नहीं है कि राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 ग्राम सभा की भूमि के अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली के लिए एक पूर्ण प्रक्रिया प्रदान करती है, जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि हो भी सकती है और नहीं भी। उक्त प्रावधान केवल बेदखली और ग्राम सभा के प्रबंधन के तहत राज्य की भूमि के ऐसे अनधिकृत कब्जे और उपयोग के कारण हर्जाने की वसूली के लिए है। यह विशुद्ध रूप से एक दीवानी उपचार है जिसमें कोई आपराधिकता नहीं जुड़ी है। सार्वजनिक उपयोग की भूमि का वही अतिक्रमण, सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत एक आपराधिक अपराध है, जिसके दंडात्मक परिणाम, यानी कारावास और जुर्माना होता है। इसके अलावा, सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत अनधिकृत कब्जाधारी की बेदखली का कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। इसलिए, मेरी सुविचारित राय में, दो



प्रावधान, अर्थात् राजस्व संहिता की धारा 67 और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 2, 3 और 5, अलग-अलग क्षेत्रों में कार्य करते हैं। यदि विधायिका ने अपने विवेक से किसी कृत्य को आपराधिक कृत्य घोषित करना उचित समझा है, तो उसे कम करके आंकने या उसके दायरे को संकुचित करने की आवश्यकता नहीं है। चूँकि दोनों प्रावधान अलग-अलग क्षेत्रों में कार्य करते हैं, इसलिए यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि इसमें कोई ओवरलैप है। यदि दोनों को कानून का अधिदेश प्राप्त है, तो किसी कृत्य के संबंध में दीवानी और आपराधिक कार्यवाही शुरू करने और चलाने पर कोई रोक नहीं है। किसी भी मामले में, एक कृत्य आपराधिक और दीवानी दोनों उत्तरदायित्वों को जन्म दे सकता है और इसलिए, दीवानी और आपराधिक दोनों कार्यवाहियों का एक साथ सहारा लिया जा सकता है।

13. जहाँ तक **मुंशी लाल** (उपरोक्त) के निर्णय का संबंध है, इस न्यायालय की खंडपीठ ने **देवनाथ यादव** (उपरोक्त) के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने अधिनियम, 1984 की धारा 3(1) का एक संकुचित दृष्टिकोण अपनाया था। **देवनाथ यादव** मामले का प्रासंगिक अंश नीचे उद्धृत किया गया है:

"17. मुंशी लाल (उपरोक्त) के मामले में दिए गए निर्णय पर आते हुए, हम पाते हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश इस आधार(premise) पर आगे बढ़े थे कि सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 को सार्वजनिक संपत्ति के प्रति उपद्रव/बर्बरता और क्षति को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था। इसके 'उद्देश्यों और कारणों के विवरण' का पहला वाक्य इस प्रकार है -

'बर्बरता के कृत्यों और सार्वजनिक संपत्ति को होने वाली क्षति, जिसमें दंगों और सार्वजनिक हंगामे के दौरान होने वाले विनाश और क्षति भी शामिल है, को रोकने के उद्देश्य से, अधिकारियों को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने के मामलों से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाने के लिए कानून को मजबूत करने की आवश्यकता महसूस की गई थी।'

उद्धृत निर्णय में 'सहित/शामिल करते हुए' शब्द का एक प्रतिबंधात्मक अर्थ निकाला गया है। हमारी राय है कि उक्त शब्द उदाहरण देने वाला है, न कि केवल 'दंगों और सार्वजनिक हंगामे के दौरान होने वाले विनाश और क्षति' तक सीमित रखने वाला, जैसा कि उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है। इसलिए, 'सहित/शामिल करते हुए' शब्द के प्रयोग का यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता कि सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम



को केवल तभी लागू किया जा सकता है जब सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान बर्बरता, दंगों या सार्वजनिक हंगामे के कारण हुआ हो।

हमारी सुविचारित राय में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने अधिनियम की धारा 3(1) का एक संकुचित दृष्टिकोण अपनाया है और उद्धृत निर्णय में अंतिम निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए मुख्य रूप से अधिनियम की धारा 3(2) और धारा 4 पर भरोसा किया है।

हालांकि, हम पाते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 425 और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 की धारा 3(1) के आलोक में, याचिकाकर्ता का कृत्य स्पष्ट रूप से इन दो धाराओं के दायरे में आता है, विशेष रूप से तब जब सार्वजनिक संपत्ति पर चहारदीवारी का निर्माण याचिकाकर्ता द्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है।

ऐसी परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता उसके द्वारा उद्धृत मुंशी लाल के मामले के निर्णय का कोई लाभ पाने का हकदार नहीं है, क्योंकि निर्णय के पूर्वगामी भाग में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 की धारा 3(1) के प्रावधान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में स्पष्ट रूप से लागू होते हैं। साथ ही, मुंशी लाल के मामले में दिया गया निर्णय तथ्यों के आधार पर भिन्न है। उसमें, विचाराधीन भूमि 'बंजर' के रूप में दर्ज थी, जो वर्तमान मामले की भूमि के विपरीत, सार्वजनिक उपयोग की भूमि नहीं है।

अतः, प्रथम सूचना रिपोर्ट रद्द किए जाने योग्य नहीं है।

इसी कारण से, यह रिट याचिका गुण-दोष विहीन (without merit) है और एतद्वारा खारिज की जाती है।"

14. इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा प्रतिपादित तथ्यों और कानून को ध्यान में रखते हुए, मैं पाता हूँ कि भारतीय दंड संहिता की धारा 425 और अधिनियम, 1984 की धारा 3(1) के आलोक में, आवेदक का कृत्य स्पष्ट रूप से इन दो धाराओं के दायरे में आता है, विशेष रूप से तब जब आवेदक द्वारा सार्वजनिक संपत्ति पर चहारदीवारी का निर्माण किया गया था।

15. वर्तमान मामले के तथ्यों पर वापस आते हुए, विवेचना अधिकारी ने स्वतंत्र गवाहों, जैसे लाल सिंह, सोनू कुशवाहा, रविंद्र आदि के बयान दर्ज किए, जिन्होंने यह बताया कि आवेदक ग्राम प्रधान (महिला) का पति है और उसने गाटा संख्या 642 पर दीवार बनाकर अवैध रूप से अतिक्रमण



किया है और वह गाटा संख्या 60 वाली सरकारी भूमि पर खेती कर रहा है। उन सभी ने कहा कि आग या विस्फोटकों के उपयोग से भूमि को क्षति नहीं पहुँचाई गई थी, इसलिए विवेचना अधिकारी ने उक्त गवाहों के बयानों पर विचार करने के बाद अधिनियम, 1984 की धारा 4 के तहत विवेचना को हटा दिया। लेखपाल ने उचित जांच के बाद वर्तमान आवेदक के विरुद्ध रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यह नहीं कहा जा सकता कि वर्तमान आवेदक के विरुद्ध कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है।

16. वर्तमान आवेदन गुण-दोष विहीन है और खारिज किए जाने योग्य है। तदनुसार, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत यह आवेदन खारिज किया जाता है।

17. हालांकि, यदि आवेदक आज से छह सप्ताह की अवधि के भीतर संबंधित न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करता है और जमानत के लिए आवेदन करता है, तो उसके जमानत आवेदन पर **सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं अन्य (2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 825)** के मामले में प्रतिपादित कानून के अनुसार शीघ्रता से विचार किया जाएगा और निर्णय लिया जाएगा।

18. हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि आज से छह सप्ताह की अवधि तक, उपरोक्त मामले के अनुसरण में यहाँ नामित आवेदक के विरुद्ध कोई भी दंडात्मक/उत्पीड़नकारी कार्यवाही नहीं की जाएगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

18 मार्च, 2026

ए.पी.पाण्डेय